



## **The Bihar Control of Crimes Act, 2024**

Act No. 12 of 2024

### **Keywords:**

Anti-social element

**DISCLAIMER:** This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 फाल्गुन 1945 (श0)  
(सं0 पटना 259) पटना, वृहस्पतिवार, 14 मार्च 2024

विधि विभाग

अधिसूचना

14 मार्च, 2024

सं० एल०जी०-01-09-2024/2007/लेज:।-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर माननीय राज्यपाल दिनांक- 14 मार्च, 2024 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है:-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,  
सरकार के सचिव(प्र०)।

## [बिहार अधिनियम 12, 2024]

## बिहार अपराध नियंत्रण, अधिनियम, 2024

लोक व्यवस्था के संधारण के लिए किसी भी तरीके से हानिकारक कार्य करने वाले असामाजिक तत्वों को नियंत्रित करने एवं उससे जुड़े मामलों के लिए विशेष प्रावधान करने हेतु एक अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है—

## अध्याय—1

## 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—

- (1) यह अधिनियम बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2024 कहा जाएगा।
- (2) इसका विस्तार पूरे बिहार राज्य तक है।
- (3) बिहार गजट में प्रकाशन के तुरंत बाद से यह प्रवृत्त होगा।

## 2. परिभाषा— इस अधिनियम में, जबतक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) “लोक व्यवस्था संधारण पर किसी भी तरीके से हानिकारक कार्य करना” का अर्थ है कि कोई व्यक्ति असामाजिक तत्व के रूप में किसी भी गतिविधि में संलिप्त है, या शामिल होने की तैयारी कर रहा है, या लोक व्यवस्था के संधारण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है या उसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना है।

स्पष्टीकरण— इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित माना जाएगा, या प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना समझी जाएगी, अन्य क्रियाकलापों के साथ, यदि उप-धारा (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी की कोई भी गतिविधि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आम नागरिक या किसी भी वर्ग के बीच कोई हानि, खतरा या आषंका या असुरक्षा की भावना पैदा कर रहा है या जीवन या सार्वजनिक स्वास्थ्य या पारिस्थितिक प्रणाली के लिए गंभीर या व्यापक खतरा पैदा कर रहा है या समुदाय के जीवन को कुप्रभावित कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप प्रशासन में विश्वास की हानि हुई हो।

(ख) असामाजिक तत्व से अभिप्रेत है, जो व्यक्ति

- (i) भारतीय दंड संहिता के अध्याय XVI या अध्याय XVII के तहत कोई दंडनीय अपराध करता है, या करने का प्रयास करता है या करने के लिए दुष्प्रेरण करता है; या
- (ii) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अधीन महिलाओं और बच्चों की व्यापार से जुड़ा कोई भी अपराध करता है या करने में दुष्प्रेरण करता है; या
- (iii) यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत कोई अपराध करता है या करने के लिए दुष्प्रेरण करता है; या
- (iv) धर्म, मूलवंश, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर या अन्य किसी भी आधार पर विभिन्न धर्मों, मूलवंशीय या भाषाई दलों या जातियों या समुदायों के बीच शब्दों द्वारा या अन्यथा शत्रुता या घृणा की भावना प्रोत्साहित या प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करता हो; या
- (v) जो स्त्रियों और लड़कियों पर आदतन अश्लील फब्कियाँ करता हुआ या उन्हें छेड़ता हुआ पाया गया हो; या
- (vi) बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के प्रावधानों के अधीन “गुण्डा” घोषित किया गया हो; या
- (vii) आयुध अधिनियम, 1959 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी अग्नायुध या गोला-बारूद के निर्माण या विक्रय या परिवहन या संचरण या अवैध व्यापार या सम्परिवर्तन या मरम्मत या परीक्षण या परिशुद्धि करता है या करने का प्रयास करता है या दुष्प्रेरण करता है या किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या इसके किसी व्यक्ति की ओर से अग्नायुध या गोला-बारूद का संधारण या वहन करता है।

स्पष्टीकरण—1— इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए अवैध व्यापार से तात्पर्य है भारत क्षेत्र में, उससे या उसके भीतर अग्नायुध या गोला-बारूद का अर्जन, विक्रय, परिदान, संचलन या अंतरण है, यदि अग्नायुध या गोला-बारूद आयुध अधिनियम, 1959 के उपबंधों के अनुसार चिन्हित नहीं है या जिनका इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में दुर्व्यापार किया गया है, जिसके अंतर्गत अवैध व्यापार किए गए, विदेशों में बने अग्नायुध या प्रतिबंधित आयुध और गोला-बारूद भी हैं।

स्पष्टीकरण—2— “संगठित अपराध सिंडिकेट” से तात्पर्य है दो या अधिक व्यक्तियों का कोई समूह, जो सिंडिकेट या गिरोह के रूप में या तो अकेले या संयुक्त रूप से कार्य करते हुए, संगठित अपराध की गतिविधियों में संलिप्त है।

स्पष्टीकरण-3-“ संगठित अपराध” से तात्पर्य है, किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी ऐसा सतत् रूप से की जाने वाली विधिविरुद्ध गतिविधि, जो या तो किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के किसी सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से अकेले या संयुक्त रूप से, स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, धन संबंधी लाभ प्राप्त करने के लिए या अनुचित आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से, हिंसा या हिंसा की धमकी या अभित्रास या प्रताड़ना या अन्य विधिविरुद्ध साधन के उपयोग द्वारा किया गया हो; या

(viii) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम की धारा-67) या बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण का निवारण अधिनियम, 2019) और समय-समय पर यथासंशोधित अथवा तथा उस समय प्रभावी अन्य कोई नियम के अन्तर्गत बालू से संबंधित अपराध करता है या किसी प्रकार का अपराध करने का प्रयास करता है या इसके लिए दुष्प्रेरण करता है; या

(ix) समय-समय पर संशोधित बिहार उत्पाद एवं निषेध अधिनियम, 2016 या स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि एवं इसके अधीन बनाए गए नियम, अधिसूचना तथा आदेश के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करके किसी शराब या मादक या हानिकारक मादक द्रव्य या अन्य मादकों या स्वापकों का आसवन, निर्माण, भंडारण, परिवहन, विक्रय, वितरण करता है, अथवा जो किसी भी व्यक्ति द्वारा या उसके माध्यम से उपरोक्त उल्लिखित चीजों में से किसी को आगे बढ़ाने या समर्थन करने के लिए जानबूझकर कोई धन खर्च या लागू करता है या किसी जानवर, वाहन, जहाज, या अन्य वाहन या किसी भी पात्र या किसी अन्य सामग्री की आपूर्ति करता है या जो किसी अन्य तरीके से ऐसे किसी कार्य को करने के लिए दुष्प्रेरण करता है; या

(x) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (केन्द्रीय अधिनियम, 2000 का 21) के अध्याय-xi के अधीन कोई दंडनीय अपराध करता है या करने का प्रयास करता है या उसे करने के लिए दुष्प्रेरण करता है; या

(xi) या तो स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या नेतृत्वकर्ता के रूप में अवैध और अनधिकृत रूप से, बल या धमकी का उपयोग करके या किसी अन्य गैरकानूनी तरीके से, किसी भी भूमि या भवन या किसी अन्य संपत्ति पर कब्जा कर लेता है या कब्जा करने का प्रयास करता है, चाहे वह संपत्ति सरकार, स्थानीय प्राधिकार या किसी अन्य व्यक्ति की हो।

(ग) “आयुक्त” से अभिप्रेत है डिवीजन का आयुक्त और इसमें इस अधिनियम के अधीन आयुक्त की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त कोई अधिकारी भी शामिल है।

(घ) “निरुद्ध करने का आदेश” से इस अधिनियम की धारा-12 के अंतर्गत पारित आदेश से अभिप्रेत है।

(ङ) “जिला दण्डाधिकारी” में अपर जिला दण्डाधिकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किसी अन्य पदाधिकारी भी सम्मिलित है।

(च) इस अधिनियम में जहाँ भी किसी असामाजिक तत्व के संबंध में वाक्यांश “अपराध कारित करता है” का प्रयोग किया गया है, उसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ होने से ठीक पहले के 24 महीनों के दौरान, उप-धारा (ख) में संदर्भित अपराधों के लिए न्यायालय में उसके विरुद्ध कम से कम दो मामलों में पुलिस प्रतिवेदन, जिसमें उसकी संलिप्तता दिखाई गई हो, समर्पित किया गया हो।

(छ) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ “दुष्प्रेरण” शब्द का अर्थ वही होगा जो भारतीय दंड संहिता, 1861 की धारा 107 के तहत परिभाषित है।

### 3. असामाजिक तत्वों का निष्कासन आदि

(1) जहाँ जिला दण्डाधिकारी को यह प्रतीत हो कि-

(क) कोई व्यक्ति एक असामाजिक तत्व है, और

(ख) (i) जिले या उसके किसी भाग अथवा राज्य के किसी भाग में उसकी गतिविधियाँ या कार्यों से व्यक्तियों या सम्पत्ति को भय, खतरा या हानि पहुँच रही है या पहुँच सकती हैं और

(ii) यह की उप-खण्ड (i) में उल्लिखित उसकी गतिविधियाँ उसे निर्दिष्ट स्थान या स्थानों से हटाये जाने के आदेश बिना रोकी नहीं जा सकती हैं।

जिला दण्डाधिकारी, उसके विरुद्ध खण्ड (क) और (ख) सम्बन्धी मुख्य आरोपों की सामान्य प्रकृति का एक लिखित सूचना देगा और उसे उनके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने के लिए युक्तियुक्त अवसर देगा।

- (2) जिस व्यक्ति के विरुद्ध इस धारा के अधीन आदेश देने का प्रस्ताव हो, उसे अपनी पसन्द के विधिक परामर्शदाता से परामर्श लेने और बचाव करने का अधिकार होगा और यदि उसकी इच्छा हो तो उसके और किन्हीं अन्य साक्षियों के परीक्षण का भी, जिन्हें वह अपने स्पष्टीकरण के समर्थन में प्रस्तुत करना चाहता हो युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा, जबतक कि अभिलिखित किये जानेवाले कारणों से जिला दण्डाधिकारी को यह राय न हो कि ऐसा अनुरोध तंग करने अथवा विलम्ब करने के प्रयोजन से किया गया है।
- (3) जिला दण्डाधिकारी अथवा यह समाधान हो जाने पर कि उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट स्थिति विद्यमान है, लिखित आदेश द्वारा—
  - (क) उसे, यथास्थिति, जिले या उसके भाग से अथवा राज्य के किसी भाग से, उस मार्ग द्वारा, यदि कोई हो, और उस समय के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, बाहर चले जाने और उस जिले या उसे विनिर्दिष्ट भाग में अथवा राज्य के किसी भाग में, तब तक प्रवेश न करने का आदेश दे सकेगा, जबतक कि छह महीने से अधिक वह कालावधि बीत न जाए जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो;
  - (ख) (i) उस व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपनी गतिविधियाँ उस रीति से, उस समय और उस प्राधिकारी या व्यक्ति को सूचित करे या उनके समक्ष उपस्थित हो जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए अथवा दोनों काम करे;
  - (ii) उसके द्वारा किसी ऐसी वस्तु रखने या उपयोग करने को प्रतिषिद्ध कर या उस पर रोक लगा सकेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो;
  - (iii) उसे अन्यथा यह निदेश दे सकेगा कि, जबतक कि छह महीने से अनधिक वह कालावधि बीत न जाए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट है वह ऐसी रीति से आचरण करे जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो।

**4. अस्थायी रूप से लौटने की अनुज्ञा**—जिला दण्डाधिकारी आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को, जिसके संबंध में धारा 3 को उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन आदेश किया गया हो, अस्थायी कालावधि के लिए उस क्षेत्र में, जिससे उसे हटने का आदेश दिया गया हो उन शर्तों के अधीन जिन्हें जिला दण्डाधिकारी विनिर्दिष्ट करें, प्रवेश करने का लौटने की अनुज्ञा दे सकेगा और ऐसी अनुज्ञा किसी समय रद्द कर सकेगा।

**5. आदेश की कालावधि का विस्तार**—जिला दण्डाधिकारी उस स्थिति को छोड़कर जब उसका अभिलिखित किये जानेवाले कारणों से यह समाधान हो चुका हो कि ऐसा करना अध्यावहार्य है, सम्बन्धित व्यक्ति को इस निमित्त अध्यावेदन देने का अवसर देने के बाद, धारा 3 के अधीन के आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि का सामान्य जनता के हित में समय-समय पर विस्तार कर सकेगा किन्तु इस प्रकार विस्तारित कालावधि किसी भी दशा में कुल मिलाकर दो वर्षों से अधिक की नहीं होगी।

#### 6. अपील—

- (1) धारा 3, धारा 4 या धारा 5 के अधीन दिये गये आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर आयुक्त के पास अपील कर सकेगा।
- (2) आयुक्त उस आदेश को, उपांतरण के साथ या बिना या तो संपुष्ट कर सकेगा या उस अपास्त कर सकेगा और अपील का निपटारा लंबित रख सकेगा या उस आदेश के प्रवर्तन को उन निबंधनों के अधीन रहते हुए स्थगित कर सकेगा जिन्हें वह उचित समझे।

#### 7. कतिपय प्रयोजनों के लिए मुचलका

- (1) जिला दण्डाधिकारी या आयुक्त—
  - (क) किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ, जिसके विरुद्ध धारा 3 के अधीन आदेश करने का प्रस्ताव हो या किया जा चुका हो किन्तु उसका प्रवर्तन धारा 6 के अधीन स्थगित कर दिया गया हो।
  - (ख) धारा 3, धारा 4, धारा 5 या धारा 6 के अधीन किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में किये गये आदेश में विनिर्दिष्ट किसी निदेश, अध्यपेक्षा, प्रतिषेध, प्रतिबंध या शर्त के सम्यक् अनुपालन के प्रयोजनार्थ ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह प्रतिभूओं के साथ या बिना एक बंधपत्र निष्पादित कर, और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध उस बंधपत्र के सम्बन्ध में, यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी तरह लागू होंगे जैसे वे उक्त संहिता के अधीन निष्पादित या निष्पादित किये जाने के लिए अपेक्षित बंधपत्रों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।
- (2) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना—
  - (क) जिला दण्डाधिकारी, धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को सूचना निर्गत करते समय उसकी गिरफ्तारी का वारंट उस पर उक्त संहिता की धारा 71 के उपबन्धों के निबंधन या एक साथ निदेश पृष्ठांकित कर, निर्गत कर सकेगा और उक्त संहिता की धारा

- 70 से धारा 89 तक के उपबन्ध, जहाँ तक हो सके, उस वारंट के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे मानो जिला दण्डाधिकारी एक न्यायालय हो।
- (ख) यदि व्यक्ति, जिससे किसी निदेश, अध्यक्ष, प्रतिषेध, प्रतिबन्ध या शर्त के अनुपालन के लिए एक बन्धपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की गयी हो, ऐसा न करे तो उसे कारागार को सुपुर्द कर दिया जाएगा या, यदि वह कारागार में ही हो तो उस कालावधि तक, जबतक वह निदेश, अध्यक्ष प्रतिषेध, प्रतिबन्ध या शर्त प्रवर्तन में रहे, अथवा तबतक कि वह यथास्थिति जामिनों के साथ या बिना आदेश के निबंधों के अनुसार बंधपत्र निष्पादित न कर दे कारागार में निरुद्ध रखा जाएगा और उक्त संहिता की धारा 119, 120, 121, 122, 123 और 124 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, उसी प्रकार लागू होंगे मानो जिला दण्डाधिकारी या आयुक्त एक न्यायालय हों।
- (ग) इस धारा के अधीन निष्पादित सभी बंधपत्रों के संबंध में उक्त संहिता की धारा 445, 447 और 448, यथावश्यक परिवर्तन सहित, उसी प्रकार लागू होंगी मानो जिला दण्डाधिकारी या आयुक्त एक न्यायालय हो।

**8. साक्ष्य की प्रकृति**—जिला दण्डाधिकारी या आयुक्त अपना यह समाधान करने के प्रयोजनार्थ कि धारा 3 या धारा 5 के अधीन आदेश करने या उसकी पुष्टि की आवश्यक स्थिति विद्यमान है या नहीं, ऐसे किसी भी साक्ष्य पर विचार कर सकेगा जिसे वह प्रमाणकारी महत्त्व को समझता हो और उस पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

**9. आदेश का विखण्ड**—जिला दण्डाधिकारी या आयुक्त, किसी भी समय धारा 3 के अधीन किये गये आदेश को विखंडित कर सकेगा, चाहे वह आदेश धारा 6 के अधीन अपील में संपुष्ट किया गया हो या नहीं।

**10. आदेशों का प्रतिसंहरण या उपांतरण**—राज्य सरकार धारा 3, 4, 5 और 6 के अधीन के आदेश को, किसी भी समय प्रतिसंहृत या उपांतरित कर सकेगी, परन्तु ऐसा प्रतिसंहरण या उपांतरण धारा 3 के अधीन उसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे मामले में जहाँ राज्य सरकार द्वारा आदेश के प्रतिसंहरण या उपांतरण के आदेश के बाद नये तथ्य उठ खड़े हुए हों, एक नया आदेश वर्जित नहीं करेगा।

**11. आदेश के उल्लंघन की दशा में बाहरी असामाजिक तत्त्वों का बलपूर्वक निष्कासन तथा निरुद्ध करना**—

- (1) जहाँ अधिनियम की धारा 3, धारा 4, धारा 5 या 6 के किसी व्यक्तियों के विरुद्ध आदेश किये जाने के बाद, वह व्यक्ति—
- (क) आदेश द्वारा निर्देशित रूप में जिले या उसके भाग अथवा राज्य के किसी भाग से नहीं हटे, अथवा
- (ख) उस क्षेत्र में पुनः प्रवेश करे जिससे उसे आदेश के प्रवर्तन की कालावधि के दौरान हटने का आदेश दिया गया हो,
- वहाँ जिला दण्डाधिकारी उसे गिरफ्तार करवाकर पुलिस की अभिरक्षा में ऐसे शर्तों के अधीन जो आवश्यक हो, विनिर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर उस स्थान पर हटाकर रख देगा जो स्थान उसके द्वारा निर्देशित हो।
- (2) कोई भी पुलिस अधिकारी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी कार्य या लोप के युक्तियुक्त रूप से संदिग्ध किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकेगी और इस प्रकार गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम कार्यपालक दण्डाधिकारी के पास तुरन्त अग्रसारित कर देगा और वह उसे जिला दण्डाधिकारी के पास अग्रसारित करवा देगा, जो उस व्यक्ति को हिरासत में निरुद्ध कर सकता है, जिसकी अवधि तीन महीने से अधिक की नहीं होगी।

#### अध्याय 2

**12. कतिपय व्यक्तियों को निरुद्ध करने सम्बन्धी आदेश करने की शक्ति**—राज्य सरकार यदि—

- (1) आशंका के कारणों से संतुष्ट हो कि किसी असामाजिक तत्व को लोक व्यवस्था संधारण के विरुद्ध किसी प्रकार से कार्य करने से, बिना तुरन्त निरुद्ध किये रोका नहीं जा सकता है, तो ऐसे असामाजिक तत्व को निरुद्ध करने हेतु आदेश पारित कर सकेगी।
- (2) यदि किसी जिला दण्डाधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी क्षेत्र में विद्यमान या संभावित परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह एक लिखित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि उस कालावधि के दौरान, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, वह जिला दण्डाधिकारी भी, यदि उपधारा (1) में उपबंधित रूप से उसका समाधान हो जाए तो, उक्त उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर सकेगा। परन्तु इस उपधारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा किये गये आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि प्रथम बार छः महीने से अधिक की नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार यदि उसका यथापूर्वोक्त रूप में यह समाधान हो जाए कि ऐसा करना आवश्यक है तो, ऐसे आदेश में इस प्रकार संशोधन कर सकेगी ताकि ऐसी कालावधि में समय-समय पर एक बार में अधिक-से-अधिक छः महीने तक का विस्तार किया जा सकेगा।
- (3) जब जिला दण्डाधिकारी द्वारा कोई आदेश किया जाए तो वह इस बात की रिपोर्ट राज्य सरकार को उन आधारों, जिसपर वह आदेश किया गया हो और उन विशिष्टियों के साथ तुरन्त देगा जो

उसको राय में विषय से सम्बन्धित हों, और कोई भी आदेश उसके दिये जाने के बाद बारह दिनों से अधिक तबतक लागू नहीं रहेगा जबतक कि इसी बीच वह राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए, परन्तु जहाँ आदेश देने वाला पदाधिकारी धारा 19 के अधीन निरुद्ध करने के आधारों को, निरुद्ध करने की तारीख से पाँच दिन बाद किन्तु दस दिन बाद नहीं, संसूचित करे वहाँ यह उपधारा इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होगी कि बारह दिनों के स्थान में पन्द्रह दिनों शब्द रहेंगे।

**13. निरुद्ध करने का आधार अलग करने योग्य—**

जहाँ किसी व्यक्ति को हिरासत के आदेश के अनुसरण में हिरासत में लिया गया है, चाहे वह बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक, 2024 की धारा 12 के तहत शुरू होने से पहले या बाद में किया गया हो, जो दो या दो से अधिक आधारों पर किया गया हो, हिरासत का ऐसा आदेश ऐसे प्रत्येक आधार पर अलग से बनाया गया माना जाएगा और तदनुसार —

(क) ऐसे आदेश को केवल इसलिए अमान्य या निष्क्रिय नहीं माना जाएगा क्योंकि इनमें से एक या कुछ आधार निम्नलिखित है या हैं —

(i) अस्पष्ट

(ii) अस्तित्वहीन

(iii) अप्रासंगिक

(iv) ऐसे व्यक्ति से जुड़ा नहीं है या निकटतम रूप से जुड़ा नहीं है या

(v) किसी भी अन्य कारण से अमान्य।

और इसलिए यह मानना संभव नहीं है कि ऐसा आदेश देने वाली सरकार या अधिकारी शेष आधार या आधार के संदर्भ में धारा 12 में दिए गए प्रावधान से संतुष्ट होंगे और हिरासत का आदेश दिया होगा।

(ख) हिरासत का आदेश देने वाली सरकार या अधिकारी को शेष आधार या आधार के संदर्भ में उस धारा में दिए गए प्रावधानों से संतुष्ट होने के बाद उक्त धारा के तहत हिरासत का आदेश दिया गया माना जाएगा।

**14. निरुद्ध करने के आदेश का निष्पादन—** निरुद्ध करने के आदेश का निष्पादन भारत में किसी स्थान पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन गिरफ्तारी के वारंट के लिए उपबंधित रीति से किया जायेगा।

**15. निरुद्ध करने के स्थान और शर्तों को विनियमित करने की शक्ति—**ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में निरुद्ध करने का आदेश दिया जाए, निम्नलिखित का दायी होगा—

(क) उस स्थान में अनुशासन बनाये रखने और अनुशासन भंग के लिए दंड संबंधी शर्तों सहित उन शर्तों के अधीन, जो राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, निरुद्ध किये जाने का और

(ख) राज्य सरकार के आदेश से निरुद्ध किए गए व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाये जाने का।

**16. कतिपय आधारों पर निरुद्ध करने के आदेशों का अविधिमान्य अप्रवर्तनीय नहीं होना—**कोई निरुद्ध आदेश केवल निम्नलिखित कारणों से अविधिमान्य या अप्रवर्तनीय नहीं होगा—

(क) उसके अधीन निरुद्ध किया जानेवाला व्यक्ति राज्य सरकार या आदेश करने वाले अधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारिता की सीमा के बाहर है, या

(ख) उस व्यक्ति के निरुद्ध करने का स्थान उक्त सीमा के बाहर है।

**17. फरार व्यक्ति से सम्बन्धित शक्तियाँ —**

(1) यदि राज्य सरकार या धारा 12 की उपधारा (2) में उल्लिखित जिला दण्डाधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि वह व्यक्ति, जिसके सम्बन्ध में निरुद्ध करने का आदेश दिया गया है, फरार हो गया है या छिपा हुआ है, ताकि वह आदेश निष्पादित न किया जा सके तो सरकार या जिला दण्डाधिकारी—

(क) जिस स्थान पर वह व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है उस स्थान के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी या उस स्थान में अधिकारिता रखनेवाले प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को लिखित रूप में तथ्यों की रिपोर्ट कर सकेगा;

(ख) आधिकारिक वेबसाईट पर आदेश अधिसूचित करते हुए उक्त व्यक्ति को ऐसे अधिकारी, ऐसे स्थान पर और ऐसी कालावधि के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किये जाए, उपस्थिति होने का निदेश दे सकेगा।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट की जाने पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 82, 83, 84 और 85 के उपबंध उस व्यक्ति और उसकी सम्पत्ति, पर लागू होंगे मानो उसके विरुद्ध किया गया वह निरुद्ध करने का आदेश दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया एक वारंट हो।

- (3) यदि ऐसा व्यक्ति उप-धारा (1) के खंड (ख) के तहत जारी किए गए आदेश का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो वह ऐसे आदेश का पालन करेगा, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि उसके लिए इसका अनुपालन करना संभव नहीं था, और उसने ऐसा किया था। आदेश में निर्दिष्ट अवधि, आदेश में उल्लिखित अधिकारी को उन कारणों के बारे में सूचित करें जिनके कारण उसका अनुपालन असंभव हो गया और उसके ठिकाने के बारे में, या यह साबित कर दे कि आदेश में उल्लिखित अधिकारी को सूचित करना उसके लिए संभव नहीं था, वह दोषी पाए जाने पर, एक वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।
- (4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा।

**18. तलाशी और जप्ती की शक्ति—**

- (1) राज्य सरकार अथवा जिला दण्डाधिकारी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी भी पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस निरीक्षक से नीचे की पंक्ति का न हो, किसी भी स्थान की तलाशी लेने, किसी जहाज, वाहन या जानवर को रोकने और उसकी तलाशी लेने का अधिकार दे सकती है, और ऐसा पुलिस अधिकारी किसी भी वस्तु को जप्त कर सकता है, यदि उसे यह विश्वास करने का कारण है कि किसी भी गतिविधि के लिए उन वस्तुओं का उपयोग किया गया है, या किया जा रहा है, या किया जाने वाला है, जो किसी भी तरह से लोक व्यवस्था के संधारण के लिए प्रतिकूल हो सकता है।
- (2) इस प्रकार शक्तिप्राप्त कोई भी पुलिस अधिकारी, अपने द्वारा की गई प्रत्येक जप्ती से संबंधित प्रतिवेदन तुरंत जिला दण्डाधिकारी को भेजेगा, और उनके आदेश प्राप्त होने तक, इस प्रकार जप्त की गई किसी भी वस्तु को अभिरक्षा में रख सकता है या उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए ऐसे अन्य कदम उठा सकता है, जैसा वह उचित समझता है।
- (3) जिला दण्डाधिकारी उपधारा (1) के तहत जप्त की गई किसी भी ऐसी संपत्ति को विनष्ट करने, जप्त करने या ऐसे अन्य तरीके से निपटाव के लिए ऐसा आदेश जारी करेंगे, जैसा वे उचित समझें, और ऐसा आदेश विषय इस अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा पुष्टि के अधीन होगा।

**19. निरुद्ध करने के आदेश के आधारों का आदेश द्वारा प्रभावित व्यक्ति को प्रकट किया जाना—**

- (1) जब निरुद्ध करने के आदेश का अनुपालन में कोई व्यक्ति निरुद्ध किया जाए तो आदेश करनेवाला प्राधिकारी, यथाशीघ्र, किन्तु साधारणतः पाँच दिनों के बाद नहीं और आपवादिक परिस्थितियों में और अभिलिखित किये जानेवाले कारणों से निरुद्ध करने की तारीख से दस दिनों बाद नहीं, उन आधारों को उसे संसूचित कर देगा, जिसपर वह आदेश किया गया हो और उस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार के पास अभ्यावेदन देने का सर्वप्रथम अवसर प्रदान करेगा।
- (2) उपधारा (1) की किसी बात से प्राधिकारी से उन तथ्यों को प्रकट को अपेक्षा नहीं की जाएगी जिन्हें प्रकट करना वह लोकहित के विरुद्ध समझता हो।

**20. सलाहकार बोर्ड का गठन—**

- (1) राज्य सरकार, जब कभी आवश्यक हो, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी।
- (2) बोर्ड में तीन ऐसे व्यक्ति होंगे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों या जिन्हें उस रूप में नियुक्त होने की अर्हता प्राप्त हो और वे व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाएँगे।
- (3) राज्य सरकार सलाहकार बोर्ड के सदस्यों में से एक को, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों या रह चुके हों, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगी।

**21. सलाहकार बोर्ड को निर्देश—** इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, ऐसे प्रत्येक मामले में जहाँ इस अधिनियम के अधीन निरुद्ध करने का आदेश किया गया हो, राज्य सरकार, आदेश के अधीन किसी व्यक्ति के निरुद्ध करने की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर, धारा 18 के अधीन अपने द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड के समक्ष उन आधारों को, जिनपर आदेश किया गया हो और आदेश से प्रभावित व्यक्ति द्वारा दिये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, को और धारा 12 की उपधारा (2) में उल्लिखित जिला दण्डाधिकारी द्वारा किये गये आदेश की दशा में, उस धारा की उपधारा (3) के अधीन उस अधिकारी की रिपोर्ट को भी रखेगी।

**22. सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया—**

- (1) सलाहकार बोर्ड, अपने समक्ष रखी गयी सामग्रियों पर विचार करने के बाद और सरकार से या सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ बुलाये गये किसी व्यक्ति से या संबंधित व्यक्ति से या संबंधित व्यक्ति से, ऐसी और जानकारी माँगने के बाद, जिसे वह आवश्यक समझे, और यदि किसी विशिष्ट मामले में, यह ऐसा करना आवश्यक समझे या यदि संबंधित व्यक्ति सुने जाने का इच्छुक हो तो उसकी व्यक्तिगत सुनवाई करने के बाद संबंधित व्यक्ति के निरुद्ध करने की तारीख से सात सप्ताह के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट दे देगा।
- (2) सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के एक पृथक भाग के सलाहकार बोर्ड की यह राय विनिर्दिष्ट रहेगी कि संबंधित व्यक्ति के निरुद्ध करने का पर्याप्त कारण है या नहीं।



- (3) यदि सलाहकार बोर्ड गठित करनेवाले सदस्यों के बीच मतभिन्नता हो वहाँ सदस्यों के बहुमत की राय को ही बोर्ड की राय समझी जाएगी।
- (4) इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध निरुद्ध करने का आदेश किया गया हो सलाहकार बोर्ड को निर्देश से संबंधित किसी विषय में किसी विधि व्यवसायी द्वारा उपस्थित होने का हकदार नहीं बनाएगी और सलाहकार बोर्ड की कार्यवाही और उसकी रिपोर्ट, उसके उस भाग को छोड़कर जिसमें सलाहकार बोर्ड की राय विनिर्दिष्ट हो, गोपनीय होगी।

### 23. सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर कार्रवाई—

- (1) ऐसे किसी भी मामले में जहाँ सलाहकार बोर्ड ने यह रिपोर्ट दी हो कि उसकी राय में किसी व्यक्ति के निरुद्ध करने का पर्याप्त कारण है, सरकार निरुद्ध करने के आदेश को संपुष्ट कर सकेगी और सम्बन्धित व्यक्ति का निरुद्ध करने का उस कालावधि तक जारी रख सकेगी जिसे वह उचित समझे।
- (2) ऐसे किसी भी मामले में जहाँ सलाहकार बोर्ड ने यह रिपोर्ट दी हो कि उसकी राय में किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने का पर्याप्त कारण नहीं है, सरकार निरुद्ध करने के आदेश को विखण्डित कर देगी, और सम्बन्धित व्यक्ति को तुरंत मुक्त करायेगी।

24. निरुद्ध करने की अधिकतम कालावधि—वह अधिकतम कालावधि, जिसके लिए किसी व्यक्ति को किसी ऐसे निरुद्ध करने के आदेश के अनुसरण में, जो धारा 23 के अधीन संपुष्ट कर दिया गया हो, निरुद्ध किया जा सकता है निरुद्ध करने की तारीख से बारह महीने की होगी, परन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात से सरकार की निरुद्ध करने के आदेश को कम समय में प्रतिसंहरण या उपांतरित करने की शक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### 25. निरुद्ध करने के आदेशों का प्रतिसंहरण—

- (1) साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का10) की धारा 23 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी निरुद्ध करने के आदेश को किसी भी समय इस बात के होते हुए भी प्रतिसंहित या उपांतरित किया जा सकेगा कि आदेश धारा 12 की उपधारा (2) में उल्लिखित पदाधिकारी या राज्य सरकार, द्वारा, जिसका वह पदाधिकारी अधीनस्थ है, किया गया है।
- (2) किसी निरुद्ध करने के आदेश का प्रतिसंहरण या समाप्ति धारा 12 के अधीन उसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे मामले में नया निरुद्ध करने का आदेश वर्जित नहीं करेगी जहाँ प्रतिसंहरण या समाप्ति की तारीख के बाद ऐसे तथ्य उत्पन्न हो गये हैं। जिनके आधार पर, यथास्थिति राज्य सरकार या धारा 12 की उपधारा (2) में उल्लिखित अधिकारी का यह समाधान हो कि ऐसा आदेश किया जाना चाहिए।

### 26. निरुद्ध व्यक्तियों की अस्थायी मुक्ति—

- (1) राज्य सरकार किसी भी समय, यह निदेशित कर सकेगी कि निरुद्ध करने के आदेश के अनुपालन में निरुद्ध किसी व्यक्ति को किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए बिना शर्त या निदेश में विनिर्दिष्ट उन शर्तों पर जिन्हें वह स्वीकार करे, मुक्त कर दिया जाए और किसी भी समय उसकी मुक्ति को रद्द कर सकेगी।
- (2) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति की मुक्ति का निदेश देते समय सरकार उससे निदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के सम्यक् अनुपालन के लिए प्रतिभुओं के साथ या बिना, एक बंधपत्र की अपेक्षा कर सकेगी।
- (3) उपधारा (1) के अधीन छोड़ा गया व्यक्ति अपने को ऐसे समय और स्थान पर, और ऐसे प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा, जो यथास्थिति उसको मुक्ति या मुक्ति रद्द करना निर्देशित करनेवाले आदेश में विनिर्दिष्ट हो।
- (4) यदि कोई व्यक्ति बिना पर्याप्त कारण के उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से अपने को प्रस्तुत नहीं करे तो वह दो वर्षों तक के कारावास से या जुर्माना से या दोनों से दण्डनीय होगा।
- (5) यदि उपधारा (1) के अधीन मुक्त व्यक्ति उक्त उपधारा के अधीन या उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र में अधिरोपित शर्तों में से किसी की पूर्ति नहीं करे तो वह बंधपत्र समपहत घोषित कर दिया जाएगा और आबद्ध व्यक्ति उसकी शास्ति के भुगतान का दायी होगा।

### अध्याय 3

27. अपराध का संज्ञान—कोई भी दण्डाधिकारी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान निम्नलिखित के सिवाय नहीं लेगा—

- (क) पुलिस उपाधीक्षक से अन्यून पंक्ति के पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसा अपराध गठित करनेवाले तथ्यों को रिपोर्ट पर, अथवा
- (ख) पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति या किसी राजपत्रित अधिकारी से प्राप्त इस सूचना पर कि ऐसा अपराध किया गया है।

28. आदेश के सम्बन्ध में व्यावृत्ति—इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी।

### 29. अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई के लिए परीक्षण—

- (1) इस अधिनियम या इसके अधीन किये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किये गये या किये जाने के लिए आशयित किसी भी कार्य के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।
- (2) इस अधिनियम या इनके अधीन दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किये गये या किये जाने के लिए आशयित किसी कार्य से हुए या होने के लिए सम्भावित किसी नुकसान के लिए राज्य सरकार या उसके किसी पदाधिकारी के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

**30. नियम बनाने की शक्ति—**

- (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए इस अधिनियम के उपबन्धों से सुसंगत नियम बना सकेगी।
- (2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में ही तीस दिनों की कुल कालावधि के लिए, जो एक ही सत्र में हो या दो क्रमवर्ती सत्रों में, रखा जाएगा और यदि उस मात्र की जिसमें वह इस प्रकार रखा जाए या तुरत बाद वाले सत्र की समाप्ति के पूर्व दोनों सदन नियम में कोई उपरांतरण करने पर सहमत हों, या इस बात पर सहमत हों कि नियम बनाया ही नहीं जाए तो तदुपरांत नियम का, यथास्थिति, केवल उस उपांतरित रूप में प्रभाव होगा अथवा वह निष्प्रभावी हो जाएगा, किन्तु इस प्रकार कि वह उपांतरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गये किसी कार्य की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

**31. अनुवाद से संबंधित—**

इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान की व्याख्या में किसी भी अस्पष्टता के मामले में, अधिनियम का अंग्रेजी संस्करण आधिकारिक पाठ माना जाएगा।

**32. निरसन और व्यावृत्ति—**

- (1) बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 (बिहार का अधिनियम संख्या, 7, 1981 का अधिनियम सं० 7) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) इस निरसन के होने पर भी, उक्त अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में उसी प्रकार किया गया या की गयी समझी जाएगी मानो वह अधिनियम उस तारीख का, जिस तारीख को वह कार्य किया गया था वह कार्रवाई की गयी थी, लागू था।

ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,  
सरकार के सचिव(प्र०)।

14 मार्च, 2024

सं० एल०जी०-01-07-2024/2008/लेज:।-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2024 को अनुमत बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2024 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा :-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,  
सरकार के सचिव(प्र०) सचिव।

[Bihar Act 12,2024]  
**The Bihar Control of Crimes ACT, 2024**  
**AN**  
**ACT**

to make special provisions for the control of anti-social elements acting in any manner prejudicial to the maintenance of public order, and for matters connected therewith.

Be it passed by the Legislature of the State of Bihar in the seventy fifth Year of the Republic of India as follows:

**CHAPTER-I**

**1. Short title, extent and commencement.-**

1. This Act may be called the Bihar Control of Crimes Act, 2024.
2. It extends to the whole of the State of Bihar.
3. It shall come into force immediately on publication in Bihar Gazette.

**2. Definition. -**

In this Act, unless the context otherwise requires-

- a. "acting in any manner prejudicial to the maintenance of public order" means a person is engaged, or is making preparations for engaging, in any of his activities as anti-social element, which affects adversely, or are likely to affect adversely the maintenance of public order,

Explanation: - For the purpose of this sub-section, public order shall be deemed to have been affected adversely, or shall be deemed likely to be affected adversely, inter alia, if any of the activities of any of the persons referred to in sub-section (b) directly or indirectly, is causing or calculated to cause any harm, danger or alarm or a feeling of insecurity, among the general public or any section thereof or a grave or widespread danger to life or public health or ecological system or disturb the life of the community thereby resulting in loss of confidence in administration.

- b. "Anti-social element" means a person who
  - i. commits, or attempts to commit or abets the commission of any offence punishable under chapter XVI or Chapter XVII of the Indian Penal Code; or
  - ii. commits or abets the commission of, any offence connected with trafficking in women and children under the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956; or
  - iii. commits or abets the commission of any offence under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012; or
  - iv. by words or otherwise promotes or attempts to promote on grounds of religion, race, language, caste or community or any other grounds whatsoever, feelings of enmity or hatred between different religions, racial or language groups or castes; or
  - v. has been found passing indecent remarks to, or teasing women or girls; or
  - vi. has been declared as a Goonda as per provisions of Bihar Police Manual, 1978; or
  - vii. commits or attempts to commit or abets the commission of offence of manufacturing or selling or transporting or transferring or illicit

trafficking or converting or repairing or testing or proving any firearm or ammunition, or being member of an organised crime syndicate or any person on its behalf possesses or carries firearm or firearms or ammunition in contravention to the provisions of the Arms Act, 1959.

Explanation—1: For the purpose of this sub-section, "illicit trafficking" means the acquisition, sale, delivery, movement or transfer of firearms and ammunition into, from or within the territory of India, if the firearms and ammunition are not marked in accordance with the provisions of the Arms Act, 1959 or are being trafficked in contravention of the provisions of the said Act including smuggled firearms of foreign make or prohibited arms and prohibited ammunition.

Explanation-2: For the purpose of this sub-section, "organized crime syndicate" means a group of two or more persons who, acting either singly or collectively, as a syndicate or gang indulging in activities of organized crime.

Explanation-3: "Organized crime" means any continuing unlawful activity by any person, singly or collectively, either as a member of an organized crime syndicate or on behalf of such syndicate, by use of violence or threat of violence or intimidation or coercion, or other unlawful means, with the objective of gaining pecuniary benefits, or gaining undue economic or other advantage for himself or any person; or

- viii. commits or attempts to commit or abets the commission of any offence in respect of sand, punishable under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Central Act 67 of 1957) or under the Bihar Minerals (Concession and Prevention of Illegal Mining, Transport and Storage) Rules, 2019 or any other law for the time being in force; or
- ix. distills, manufactures, stores, transports, sells or distributes any liquor, intoxicating drug or other intoxicant in contravention of any of the provisions of the Bihar Excise & Prohibition Act, 2016, Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, as amended from time to time or any other law prohibiting such activities for the time being in force, and the rules, notifications and orders made thereunder, or in contravention of any other law for the time being in force, or who knowingly expends or applies any money or supplies any animal, vehicle, vessel or other conveyance or any receptacle or any other material whatsoever in furtherance or support of the doing of any of the above mentioned things by or through any other person, or who abets in any other manner the doing of any such thing; or
- x. commits or attempts to commit or abets the commission of any offence, punishable under Chapter XI of the Information Technology Act, 2000 (Central Act 21 of 2000); or
- xi. either by himself or as a member of or leader of a gang illegally and unauthorisedly, by use of force or threat or by any other unlawful means, takes possession or attempts to take possession of any land or house or any other property whether belonging to the Government, local authority or any other person.
- c. "Commissioner" means the Commissioner of a Division and includes any officer specially empowered by the State Government to exercise all or any of the powers of Commissioner under this Act.
- d. "Detention order" means an order of detention made under Section 12 of this Act.

- e. District Magistrate" includes an Additional District Magistrate or any other officer specially empowered by the State Government in this behalf.
- f. The phrase "commits an offence" wherever used in relation to an anti-social element in this Act means a person, against whom, during twenty-four months immediately preceding the commencement of any action under this Act, not less than two cases in which police report has been filed in the Court of law showing his involvement in offences referred to in sub-section (b).
- g. the word "abet" shall have the same meaning as assigned to it under Section 107 of the Indian Penal Code, 1861.

**3. Extermment, etc., of anti-social elements. -**

1. Where it appears to the District Magistrate that-
  - a. any person is an anti-social element, and
  - b. (i) that his movements or acts in the district or any part thereof or in any part of the State are causing or are calculated to cause alarm, danger or harm to persons or property; and  
(ii) that his activities as mentioned in sub-clause (i) cannot be prevented without removing him from the specified place or places.

the District Magistrate shall by notice in writing inform him of the general nature of the material allegation against him in respect of clauses (a) and (b) and shall give him a reasonable opportunity of tendering an explanation regarding them.

2. The person against whom an order under this Section is proposed to be made shall have the right to consult and be defended by a counsel of his choice and shall be given a reasonable opportunity of examining himself, if he so desires, and also of examining any other witnesses that he may wish to produce in support of his explanation, unless for reasons to be recorded in writing the District Magistrate is of opinion that the request is made for the purpose of vexation or delay.
3. The District Magistrate on being satisfied that the conditions specified in clauses (a) and (b) of sub-section (1) exist, may by order in writing-
  - (a) direct him to remove himself outside the district or part thereof, or any part of the State as the case may be, by such route, if any, and within such time as may be specified in the order and to resist from entering the district or the specified part thereof or of the State, until the expiry of such period, not exceeding six months as may be specified in the order;
  - (b) (i) require such person to notify his movements or to report himself or to do both, in such manner, at such time and to such authority or person as may be specified in the order;  
(ii) prohibit or restrict possession or use by him of any such article as may be specified in the order;  
(iii) direct him otherwise to conduct himself in such manner as may be specified in the order; until the expiry of such period, not exceeding six months as may be specified in the order.

**4. Permission to return temporarily. -**

The District Magistrate may, by an order permit any person in respect of whom an order has been made under clause (a) of sub-section (3) of Section 3 to enter or return, for temporary period, into or to the area from which he was directed to remove himself, subject to such conditions as the District Magistrate may specify and may at any time rescind any such permission.

**5. Extension of period of order -**

The District Magistrate may, after giving except where for reasons to be recorded in writing he is satisfied that it is impracticable so to do, to the person concerned, an opportunity of making a representation in that behalf extend from time to time in the interest of the general public, the period specified in the order

made under Section 3, but the period so extended shall in no case exceed two years in the aggregate.

**6. Appeal. –**

1. Any person aggrieved by an order made under Section 3 or Section 4 or Section 5 may appeal to the Commissioner within fifteen days from the date of such order.
2. The Commissioner may either confirm the order with or without modification or set it aside and may, pending disposal of the appeal, stay the operation of the order subject to such terms, if any, as he thinks fit.

**7. Recognizance for certain purposes. –**

1. The District Magistrate or the Commissioner may, for the purpose of-
  - a. Securing the attendance of any person against whom an order is proposed to be made under Section 3 or has been made but its operation has been stayed under Section 6; or
  - b. Securing the due observance of any direction, requirement, prohibition, restriction or condition specified in an order made in respect of any person under Section 3, Section 4, Section 5 or Section 6 require such person to enter into a bond, with or without sureties, and the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall *mutatis mutandis* apply in relation to such bond as they apply in relation to bonds executed or required to be executed under the said Code.
2. In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing provisions:
  - a. the District Magistrate while issuing notice to any person under sub-section (1) of Section 3, may issue warrant for his arrest with endorsement thereon of a direction in terms of the provisions of Section 71 of the said Code and the provisions of Sections 70 to 89 of the said Code shall, so far as may be apply in relation to such warrant as if the District Magistrate were a Court;
  - b. if any person who is required to execute a bond for the observance of any direction, requirement, prohibition, restriction or condition fails to do so, he shall be committed to prison or, if he is already in prison, be detained in prison until the period for which the direction, requirement, prohibition, restriction or condition is to operate or until the time he executes the bond with or without sureties, as the case may be, in terms of the order, and the provisions of Sections 119, 120, 121, 122, 123 and 124 of the said Code shall *mutatis mutandis* apply as if the District Magistrate or the Commissioner were a Court;
  - c. Sections 445, 447 and 448 of the said Code shall *mutatis mutandis* apply in relation to all bonds executed under this Section as if the District Magistrate or the Commissioner were a Court.

**8. Nature of evidence. –**

The District Magistrate or the Commissioner may for the purpose of satisfying himself as to whether the condition necessary for the making or confirmation of an order under Section 3 or Section 5 exist or not take into consideration any evidence which he considers to have probative value and the provisions of the Indian Evidence Act, 1872, shall not apply thereto.

**9. Rescission of order. –**The District Magistrate or the Commissioner may at any time rescind an order made under Section 3, whether or not such order was confirmed on appeal under Section 6.

**10. Revocation or modification of orders. –**

Order under Sections 3, 4, 5 and 6 may at any time be revoked or modified by the State Government provided that the revocation or modification shall not be a Bar to the making of a fresh order under Section 3 against the same person in any

case where fresh facts have arisen after an order of revocation or modification of the order by the State Government.

**11. Forcible removal of externed anti-social element in case of contravention of order and detention. –**

1. Where, after an order is made against any person under Section 3, Section 4, Section 5 or Section 6 such person-
  - a. has failed to remove himself from the district or part thereof or any part of the State as directed by the order; or
  - b. has re-entered the area, from which he was ordered to remove himself during the period of operation of that order,
 the District Magistrate may cause him to be arrested and removed in police custody to such place outside the area specified in the said order as he may direct and subject to such conditions as may be necessary,
2. Any Police Officer may arrest without warrant any person reasonably suspected of an act or omission specified in sub-section (1), and shall forthwith forward the person so arrested to the nearest Executive Magistrate who shall cause him to be forwarded to the District Magistrate who may thereupon cause such person to be detained in custody for not more than the period of three months.

**CHAPTER-II**

**12. Power to make orders detaining certain persons. -** The State Government may. –

1. If it is satisfied that there is reason to fear that an anti-social element cannot be prevented from acting in any manner prejudicial to the maintenance of public order otherwise than by the immediate detention of such person, make an order directing that such anti-social element be detained.
2. If, having regard to the circumstances prevailing or likely to prevail in any area within the local limits of the jurisdiction of a District Magistrate, the State Government is satisfied that it is necessary so to do, it may by an order in writing direct, that during such period as may be specified in the order, such District Magistrate may also, if satisfied as provided in sub-section (1) exercise the power conferred upon by the said sub-section:

Provided that the period specified in an order made by the State Government under this sub-section shall not, in the first instance exceed six months, but the State Government may, if satisfied as aforesaid that it is necessary so to do, amend such order to extend such period from time to time by any period not exceeding six months at any one time.

3. When any order is made by District Magistrate, he shall forthwith report the fact to the State Government together with the grounds on which the order has been made and such other particulars as, in his opinion, have a bearing on the matter, and no such order shall remain in force for more than 12 days after the making thereof unless, in the meantime, it has been approved by the State Government:

Provided that where under Section 19 the grounds of detention are communicated by the officer making the order after five days but not later than ten days from the date of detention, this, sub-section shall apply subject to the modification that, for the words "twelve days", the words "fifteen days" shall be substituted.

**13. Grounds of detention severable. –**

Where a person has been detained in pursuance of an order of detention whether made before or after the commencement of the Bihar Control of Crimes Act, 2024 under Section 12 which has been made on two or more grounds, such order of detention shall be deemed to have been made separately on each of such grounds and accordingly -

- a. such order shall not be deemed to be invalid or inoperative merely because one or some of the grounds is or are: -
  - i. vague;
  - ii. non-existent;
  - iii. non-relevant;
  - iv. not connected or not proximately connected with such person; or
  - v. invalid for any other reason whatsoever.

and it is not therefore possible to hold that the Government or officer making such order would have been satisfied as provided in Section 12 with reference to the remaining ground or grounds and made the order of detention.

- b. The Government or officer making the order of detention shall be deemed to have made the order of detention under the said Section after being satisfied as provided in that Section with reference to the remaining ground or grounds.

**14. Execution of detention order. -**

The detention order may be executed at any place in India in the manner provided for the execution of warrants of arrest under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

**15. Power to regulate place and conditions of detention. -**

Every person in respect of whom a detention order has been made shall be liable-

- a. to be detained in such place and under such conditions, including conditions as to maintenance of discipline and punishment for breaches or discipline as the State Government may, by general or special order, specify; and
- b. to be removed from one place of detention to another place of detention, by order of the State Government.

**16. Detention orders not to be invalid or inoperative on certain grounds. -**

No detention order shall be invalid or inoperative merely by reason-

- a. that the person to be detained thereunder is outside the limits of the territorial jurisdiction of the State Government, or officer making the order; or
- b. that the place of detention of such person is outside the said limits.

**17. Powers in relation to absconding person. -**

1. If the State Government or the District Magistrate mentioned in sub-section (2) of Section 12 has reason to believe that a person in respect of whom a detention order has been made, has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed, the Government or the District Magistrate may-
  - a. make a report in writing of the fact to a Chief Judicial Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class having jurisdiction in the place where the said person ordinarily resides;
  - b. by order notified on the official website direct the said person to appear before such officer, at such place and within such period as may be specified in the order.
2. Upon the making of a report against any person under clause (a) of sub-section (1), the provisions of Sections 82, 83, 84 and 85 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) shall apply in respect of such person and his property as if the detention order made against him were a warrant issued by the Magistrate.
3. If such person fails to comply with an order issued under Clause (b) of sub-section (1), he shall, unless he proves that it was not possible for him to comply therewith, and that he had, within the period specified in the order, informed the officer mentioned in the order of the reasons which rendered compliance therewith impossible and of his whereabouts, or proves that it was not possible for him to so inform the officer mentioned in the order, on conviction, be punished with



imprisonment for a term which may extend to one year or with fine, or with both.

4. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) every offence under sub-section (3) shall be cognizable.

**18. Power to search and seize. —**

- (1) The State Government or the District Magistrate, may, by general or special order, empower any police officer not below the rank of Inspector of Police to search any place, stop and search any vessel, vehicle or animal, and may seize anything which he has reason to believe, has been, is being, or is about to be used for any activity which may, in any manner, be prejudicial to the maintenance of public order.
- (2) Any police officer so empowered shall, forthwith, send report to the District Magistrate of every seizure made by him, and till the receipt of their orders, may keep in custody anything so seized or take such other steps for its safe custody, as he may think fit.
- (3) The District Magistrate may issue such order, as he deems fit, for the disposal of any such property seized under clause (1) by destruction, confiscation or in such other manner as he may direct and such an order shall be subject to confirmation by the Advisory Board constituted under this Act.

**19. Grounds of order of detention to be disclosed to person affected by the order. —**

1. When a person is detained in pursuance of a detention order, the authority making the order shall, as soon as may be, but ordinarily not later than five days and in exceptional circumstances and for reasons to be recorded in writing, not later than ten days from the date of detention, communicate to him the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order to the State Government.
2. Nothing in sub-section (1) shall require the authority to disclose facts, which it considers to be against the public interest to disclose.

**20. Constitution of Advisory Board. —**

1. The State Government shall, whenever necessary, constitute Advisory Board for the purpose of this Act.
2. The Board shall consist of three persons who are, or have been, or are qualified to be appointed as Judges of High Court, and such persons shall be appointed by the Government.
3. The Government shall appoint one of the members of the Advisory Board who is or has been, a Judge of a High Court to be its Chairman.

**21. Reference to Advisory Board. —**

Save as otherwise expressly provided in this Act in every case where a detention order has been made under this Act the Government shall, within three weeks from the date of detention of a person under the order, place before the Advisory Board constituted by it under Section 20 the grounds on which the order has been made and the representation, if any, made by the person affected by the order, and in case where the order has been made by the District Magistrate mentioned in sub-section (2) of Section 12 also the report by such officer under sub-section (3) of that Section.

**22. Procedure of Advisory Board. —**

1. The Advisory Board shall, after considering the materials placed before it and, after calling for such further information as it may deem necessary from the Government or from any person called for the purpose through the Government or from the person concerned, and if, in any particular case, it considers it essential so to do or if the person concerned desires to be heard, after hearing him in person,

submit its report to the Government within seven weeks from the date of detention of the person concerned.

2. The report of the Advisory Board shall specify in a separate part thereof the opinion of the Advisory Board, as to whether or not there is sufficient cause for the detention of the person concerned.
3. When there is a difference of opinion among the members forming the Advisory Board, the opinion of the majority of such members shall be deemed to be the opinion of the Board.
4. Nothing in this Section shall entitle any person against whom a detention order has been made to appear by any legal practitioner in any matter connected with the reference to the Advisory Board and the proceedings of the Advisory Board and its report, excepting that part of the report in which the opinion of the Advisory Board is specified, shall be confidential.

**23. Action upon the report of the Advisory Board. –**

1. In any case where the Advisory Board has reported that there is, in its opinion, sufficient cause for the detention of a person, the Government may confirm the detention order and continue the detention of the person concerned for such period as it thinks fit.
2. In any case where the Advisory Board has reported that there is, in its opinion, no sufficient cause for the detention of a person, the Government shall revoke the detention order and cause the person concerned to be released forthwith.

**24. Maximum period of detention. –**

The maximum period for which any person may be detained in pursuance of any detention order which has been confirmed under Section 23 shall be twelve months from the date of detention: Provided that nothing contained in this Section shall affect the power of the Government to revoke or modify the detention order at any earlier time.

**25. Revocation of detention orders. –**

1. Without prejudice to the provisions of Section 23 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), detention order may at any time, be revoked or modified-
  - (i) Notwithstanding that the order has been made by an officer mentioned in sub-section (2) of Section 12, or by the State Government to which that officer is subordinate.
2. The revocation or expiry of a detention order shall not bar the making of a fresh detention order under Section 12 against the same person in any case where fresh facts have arisen after the date of revocation or expiry on which the State Government or an officer mentioned in sub-section (2) of Section 12, as the case may be, is satisfied that such an order should be made.

**26. Temporary release of persons detained. –**

1. The Government may, at any time, direct that any person detained in pursuance of a detention order may be released for any specified period either without conditions or upon such conditions specified in the detention as that person accepts and may, at any time, cancel his release.
2. In directing the release of any person under sub-section (1), the Government may require him to enter into a bond with or without sureties for the due observance of the conditions specified in the direction.
3. Any person released under sub-section (1) shall surrender himself at the time and place, and to the authority, specified in the order directing his release or cancelling his release, as the case may be.
4. If any person fails without sufficient cause to surrender himself in the manner specified in sub-section (3), he shall be punishable with

imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

If any person released under sub-section (1) fails to fulfil any of the conditions imposed upon him under the said sub-section or in the bond entered into by him, the bond shall be declared to be forfeited and any person bound thereby shall be liable to pay the penalty thereof.

### **CHAPTER-III**

#### **27. Cognizance of offence. -**

No Magistrate shall take cognizance of an offence punishable under the Act, except-

- a. upon a report in writing of the facts constituting such offences made by a Police Officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police; or
- b. upon information received from any person other than a police officer or from any gazetted officer that such offence has been committed.

#### **28. Savings as to orders. -**

No order made in exercise of any power conferred by or under this Act shall be called in question in any Court.

#### **29. Protection of action taken under the Act. -**

1. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or of any order made thereunder.
2. No suit or other legal proceeding shall lie against the State Government or any officer of the State Government for any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or of any order made thereunder.

#### **30. Power to make rules. -**

1. The State Government may, by notification in the Official Gazette make rules consistent with the provisions of this Act for carrying out the purposes of the Act.
2. Every rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State Legislature while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, both Houses agree in making any modification in the rule or such Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

#### **31. Translation related. -**

In case of any ambiguity in interpreting any of the provisions of this Act, the english version of the Act shall be deemed to be the authoritative text.

**32. Repeal and saving –**

1. The Bihar Control of Crimes Act, 1981 (Bihar Act, 7 of 1981) is hereby repealed.

Notwithstanding such repeal anything done or any action taken in the exercise of any power conferred by or under the said Act, shall be deemed to have been done or taken in the exercise of the power conferred by or under this Act as if this Act were in force on the day on which such thing or action was done or taken.

**Jyotiswaroop Srivastava,**  
*I/C Secretary to the Government of Bihar.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।  
बिहार गजट (असाधारण) 259-571+400-डी0टी0पी0 ।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>